25/07 वाद

छुन्नी व० नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.3.16	3 मद पत्र 3001 वास्ते तनकियात कायमी आयमी बेहुए प्रत्य० 6 के समन्स तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। पुनः वकील वादी पेश करे। पत्रावली वास्ते तनकियात हेतु दिनांक 15-7-16 को पेश होवे।	
31.5.16	वादिया की ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ कि पक्षकारो के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है, इस कारण पत्रावली आज ही तलब की जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। पत्रावली पेश हुई. वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारियो को रेकोर्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी सं० 2 की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारियो को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व प्रतिवादीगण को दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है। प्रतिवादी सं० 1 के विधिक उत्तराधिकारियो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रोत्रिय ने अधिकार पत्र पेश किया तथा प्रतिवादी सं० 2 के विधिक उत्तराधिकारियो का भी अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रकरण मे संशोधित अनवान प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 व 5 की ओर से व वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक उत्तराधिकारी माधू, बालू, सोहन, बाबू, गोपाल व केशर के पक्ष मे राजीनामा प्रस्तुत कर	मैं वादिया की पहचान करता हूं प्रतिनिधि ? हस्ताक्षर 31.5.2016 नि० छुन्नी (वादिया) अमरचन्द प्रतिवादी 2/2 नि० भूरा प्रतिवादी 3 नि० ग्यारसी प्रतिवादी 4 नि० ग्यारसी प्रतिवादी 5 प्रतिवादी सं० 1 के उत्तराधिकारी माधूलाल बालु

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णय किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामे मे प्रस्तुत प्रकरण प्रतिवादी सं 6, 7 व 8 व 9 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 एंव 5 विवादित कृषि आराजियात के खातेदार काश्तकार व उनके विधिक उत्तराधिकारी है तथा वादिया राजीनामे के आधार पर कोई हक व हिस्सा नही चाहती है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं॰ 1 की विधिक उत्तराधिकारनी केशर भी राजीनामे के आधार पर अपना हिस्सा नारायण के पुत्रों के नाम पर दर्ज कराने पर सहमत है।

सोहन
बाबुलाल
गोपाल
नि॰ केसर

अतः प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम राजीनामे के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम माण्डल, पटवार हल्का माण्डल, तहसील माण्डल के आराजी नं॰ 2845 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आ॰नं॰ 2846 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आ॰नं॰ 2847 रकबा 04 बिस्वा एंव आ॰नं॰ 2856 रकबा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार माधू, बाबू, सोहन, बाबू, गोपाल पिता स्वर्गीय श्री नारायण गाडरी निवासी- माण्डल को घोषित किया जाता है तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे उनके नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार कुंए के आ॰नं॰ 2849

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

है उसमे श्री छोगा पिता श्री डूंगा गाडरी निवासी माण्डल का हिस्सा भाधू, बाधू, सोहन, बाबू एंव गोपाल पिता श्री स्वर्गीय नारायण गाडरी निवासी माण्डल के नाम पर खातेदारी अधिकारो से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो तथा बाद डिक्री पगावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल